(93)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : **एस0एस0अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1592–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–02–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल प्र0 क्र0–387/अपील/2013–14

....

सकीना बी पत्नी बेवा राशीद अली
निवासी–कस्बा, गोहापुरा, सीहोर
तहसील व जिला–सीहोर

——————आवेदिका

<u>विरूद्ध</u>

मुस्ताक अली आ0 श्री हुसैन खां
निवासी–कस्बा, गोहापुरा, सीहोर
तहसील व जिला–सीहोर

——————अनावेदक

....

श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
श्री फरहान खान, अभिभाषक, अनावेदक

....

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 23/12/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–02–2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, नजूल अधिकारी सीहोर के प्रकरण क्रमांक 390/ए–1–1971–72 शासन विरूद्ध मुस्ताक शीट क्रमांक 89 भूखण्ड क्रमांक 34 क्षेत्रफल 77.00 वर्गमीटर भू–भाटक निर्धारण किये जाने के संबंध में जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.03.1973 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय कलेक्टर सीहोर के समक्ष प्रस्तुत

की गई, जिसे अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 386/अपील/2013–14 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 द्वारा अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है म0प्र0भू–राजस्व संहिता की धारा 57(2) में दिनांक 30.12.2011 के संशोधन के बाद निम्नानुसार संशोधन किया है, जिसमें उल्लेखित किया है कि जहां राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच उप धारा (1) के अधीन के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो वहां ऐसा विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जावेगा। ऐसा उल्लेख करते हुये अधीनस्थ कलेक्टर सीहोर द्वारा अपील को श्रवण करने का अधिकार स्वयं के न्यायालय को नहीं होना बताते हुये प्रकरण समाप्त किया गया है, जो विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है, क्योंकि संशोधन में स्पष्ट किया है कि यह संशोधन ऐसे आदेशों पर लागू नहीं होगा जो कि संशोधन के पूर्व से पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह आदेश वर्ष 1970–71 में पारित किया गया है । अर्थात् जो आदेश पारित हुआ है वह वर्ष 1970–71 में पारित हुआ है। इस प्रकार इस संशोधन का प्रभाव वैधानिक रूप से इस आदेश पर नहीं पड़ता है। विधि की यह मंशा है कि कोई भी संशोधन विधि में किया जाता है तो वह संशोधन पूर्व में पारित किये गये आदेशों पर लागू नहीं होता है। अर्थात अगर कोई विवाद इस अवधि के मध्य वर्तमान में उत्पन्न होता अर्थात् संशोधन हो जाने के बाद उत्पन्न होता तो ऐसे विवादों को सूनने की पात्रता राज्य शासन को दी गई है न कि पूर्व में पारित आदेशों के संबंध में अपील सूनने की पात्रता दी गई है। स्पष्ट है कि जब आदेश 70–71 में पारित हुआ है तो प्रकरण मूल प्रकरण 70–71 का कहा जावेगा न कि संशोधन के बाद का। इस प्रकार दिनांक 30.12.2011 को भूतलक्षीय प्रभाव विधि अनुसार 70–71 के प्रकरण में लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दु का त्रुटि पूर्ण अर्थ निकालते हुये दुषित आदेश दिनांक 06.05.2014 को पारित किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय में इस

आधार को उठाया गया, परन्तु उनके द्वारा भी पूर्व अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुये अपील को निरस्त कर गंभीर त्रुटि की है। दिनांक 20.07.2009 को अनावेदक द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि राजस्व पत्रों में नजूल रिकॉर्ड में दूषित तरीके से मुश्ताक अली का नाम इंद्राज है जो पूर्ण रूप से असत्य है। वास्तव में भी आवेदक भी 1/2 की हकदार है। अंत में आवेदिका के अभिभााक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक के अभिाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकगण के तर्को पर विचार किया उभयपक्ष के आभिभाषकों ने बहस के दौरान प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन किये जाने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपील दिनांक 08.03.2013 को अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय में पेश की गई है। म0प्र0 भू0—राजस्व संहिता की धारा 57(2) दिनांक 30.12.2011 के संशोधन के बाद निम्नानुसार हैः— " जहां राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच उप धारा (1) के अधीन के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहां ऐसा विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। " संहिता की धारा 57 (2) के विवाद को विनिश्चित करने का अधिकार दिनांक 30.12.2011 के पश्चात राज्य सरकार को है और प्रस्तुत अपील दिनांक 08.03.2013 को प्रस्तुत की गई है । ऐसी स्थिति में इस अपील को श्रवण करने का अधिकार अपर आयुक्त भोपाल को नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, सीहोर का आदेश विधिसम्बत है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी पुष्टि अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल ने अपने विस्तृत आदेश किया है और इसी आधार पर अपर आयुक्त भोपाल ने आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है। मेरे मतानुसार अपर आयुक्त भोपाल ने जो निष्कर्ष निकाला है, मैं उससे सहमत हूँ।

6/ उपरोक्त व्याख्या के आलोक में प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05—02—2016 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,